Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

लोकतंत्र एवं भारतीय लोकतंत्र में महिलाएं

डॉ. श्वेता तेवानी*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) पीएमसीओई शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक तुलनात्मक पर्यवेक्षणआत्मक एवं विश्लेषणआत्मक एवं अनुभवात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया गया है।

शब्द कुंजी –भारतीय समाज,लोकतंत्र,आरक्षण,वर्ण व्यवस्था।

प्रस्तावना – भारतीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान के निर्माण के समय अपनाया गया लेकिन भारतीय लोकतंत्र में कुछ बाधाएं थी जिनके कारण भारतीय लोकतंत्र को पूर्णत: सफल बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सामाजिक व्यवस्था मे वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के आधार पर अत्यधिक भेदभाव विद्यमान था। जातिगत भेदभाव को दूर कर समाज में समानता लाने के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण संबंधी प्रावधान किए जिससे कि समाज में पूरी तरह से समानता स्थापित की जा सके। सामाजिक व्यवस्था मे महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किसी भी प्रकार के विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए और इसीलिए आज भी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। महिलाओं कि इस स्थिति का कारण पुरुषों की मानसिकता है जो कि भारतीय महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है और स्वयं को ऊपरी पायदान पर रखना और देखना चाहते है।

लोकतंत्र : शासन व्यवस्था या मानसिकता – वर्तमान समय में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है लेकिन लोकतंत्र सदा से ही श्रेष्ठ प्रणाली नहीं माना गया है। प्लेटो एवं राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के समय में लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप माना गया था। तत्कालीन समय में राजतंत्र ही श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी गई थी। सत्ता ,प्रभाव एवं शक्ति की लालसा हमेशा ही व्यक्ति को इसके दुरुपयोग के लिए प्रेरित करती है।

लोकतंत्र से अभिप्राय – लोकतंत्र को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीकों से परिभाषित किया जाता है। जिस तरह प्राचीन समय में लोकतंत्र को विकृत या नकारात्मक रूप से परिभाषित किया गया था, उसी तरह आधुनिक युग में भी लोकतंत्र को एक नकारात्मक या बुरी व्यवस्था मानने वाले अनेक विद्वान हैं।

लोकतंत्र की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा अब्राहम लिंकन की है–'लोकतंत्र जनता का ,जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन है।'

सीले के अनुसार– 'लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है।'

डायसी के अनुसार–'लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है इसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है।'

लोकतंत्र के नकारात्मक पक्ष को प्रदर्शित करते हुए सारटोरी ने लोकतंत्र को 'आडंबरमय युक्त व्यवस्था'कहा है।

लोकतंत्र को वर्तमान समय में अनेक तरीकों से प्रदर्शित किया गया है:

1. लोकतंत्र शासन का एक प्रकार है
2. एक सामाजिक व्यवस्था है
3. जीवन जीने का एक ढंग है
4. लोकतंत्र विशिष्ट वर्ग का शासन है
5. आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार है
6. लोकतंत्र जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण है
7. लोकतंत्र एक मानसिकता है

लोकतंत्र में मताधिकार शासन में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है , मताधिकार के बल पर जनता के प्रतिनिधियों में लगातार परिवर्तन होता रहता है जिससे जनता लोकप्रिय शासन व्यवस्था स्थापित होती है। किंतु अधिकांश लोकतांत्रिक राज्य में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखने की व्यवस्था की गई थी। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु जैसे महत्वपूर्ण विचारक भी महिलाओं को मताधिकार देने के पक्षधर नहीं थे , किंतु इन आधारों पर उनकी आलोचना निरंतर होती रही है। संसदीय प्रजातंत्र के जनक इंग्लैंड में भी महिलाओं को मताधिकार बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही प्राप्त हुआ है।

भारत में लोकतंत्र – सामान्यत: भारत में सदा से ही राजतंत्र शासन के स्वरूप के रूप में प्रचलित रहा है हालांकि इसमें भी जनता का कल्याण करने वाला राजतंत्र एवं राजा लोकप्रिय की श्रेणी में रखा गया था। भारत में लोकतंत्र के विचार का उद्भव ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता के प्रयासों के समय विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आने के साथ प्रारंभ हुआ।

19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधारको के माध्यम से नवीन विचारों का उद्भव हुआ। भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता एवं जनक राजा राममोहन राय इनमें से सर्व प्रमुख है राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें दूर करने हेतु दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करते हुए उसके लिए विशेष प्रयास किए भारतीय लोकतंत्र की जड़ वहीं से स्थापित होती है । राजा राममोहन राय ने महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए विशेषकर उनके दृष्टिकोण सती प्रथा सबसे बड़ी कुरीति भारत की समाज में विद्यमान थी और इसी में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा इस हेतु प्रतिबंधित करने के लिए 1828 में सती प्रथा के विरोध में कानून के माध्यम से उसे

प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया।

लोकतंत्र केवल एक शासन का स्वरूप नहीं है वरन जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण है और एक मानसिकता है , जो कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है।

भारत में किसी प्रकार की व्यवस्था में सुधार के लिए उसे सही तरीके से लागू करने के लिए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है , कानूनों के अस्तित्व के बिना व्यवस्था को सही रूप से संचालित नहीं किया जा सकता और ना ही दूषित व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है।

भारतीय लोकतंत्र में यही व्यवस्था 19वीं शताब्दी एवं बीसवीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और भारतीय संविधान के निर्माण के समय एवं उसके पश्चात भी लागू रही है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अनेक ऐसी कुरीतियां विद्यमान थी जिनको स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कठोर कानूनों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया इन कानूनों के माध्यम से भारतीय समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास भी किया गया। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में विद्यमान वर्ण व्यवस्था जिसमें भारतीय समाज अलग-अलग वर्णों में बटॉ हुआ था एवं एक वर्ग के लोग पूरी तरह से वंचित और उपेक्षित माने गए थे और इनकी स्थिति में सुधार के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए एवं इसी वर्ग के लिए समानता पर लाने के लिए आरक्षण जैसी विशिष्ट व्यवस्था भी की गई हालांकि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था प्रारंभ में कुछ ही समय के लिए की गई थी लेकिन बाद में यह व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार आगे के लिए भी बढ़ाई गई क्योंकि वर्ण व्यवस्था मानसिकता से संबंधित है इसीलिए आज भी इसे बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक वर्ण व्यवस्था के संबंध में भारतीयों की मानसिकता पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक यहां आरक्षण व्यवस्था को लागू रखा जाए, जिस तरह से वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक भेदभाव व्यवस्था को कानूनों के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तरह से भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए भी कठोर कानूनों की आवश्यकता महसूस हो रही है।

भारतीय लोकतंत्र एवं महिलाएं – जिस तरह से भारतीय समाज में एक वर्ण पूरी तरह से वंचित और उपेक्षित था , उसी तरह महिलाएं प्रत्येक वर्ण में दोयम दर्जे का स्थान रखती थी एवं वंचित और उपेक्षित रही हैं। भारतीय समाज में ऋग्वेद काल के पश्चात महिलाओं की स्थिति कभी भी सामान्य नहीं रही। महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बुरी से बदतर और दयनीय होती है महिलाएं अनेक प्रकार की बुराइयां एवं कुरीतियों का सामना कर रही थी इनमें से प्रमुख है:

1. सती प्रथा
2. बाल विवाह
3. महिलाओं की अशिक्षा
4. आर्थिक परनिर्भरता
5. विधवाओं की बुरी स्थिति
6. घुंघट या पर्दा प्रथा
7. दहेज प्रथा
8. महिला भ्रुण हत्या
9. महिलाओं का कार्यक्षेत्र केवल घर की चारदीवारी आदि

सती प्रथा में महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद पति की चिता के साथ जला दिया जाता था इस प्रथा को राजा राममोहन राय के विशेष प्रयासों से 1828 में कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया।

बाल विवाह प्रथा के अंतर्गत बचपन में ही बालिकाओं का विवाह तय कर दिया जाता था या करवा दिया जाता था जिससे शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व हुए बिना ही उनके ऊपर दायित्वों का बोझ डाल दिया जाता था इस कुप्रथा पर भी बालिका विवाह की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तय की गई जिससे इस कुप्रथा को भी कानून के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया।

बाद में समाज के अन्य वर्गों की तरह ही महिलाओं की आर्थिक परनिर्भरता उनकी दयनीय स्थिति का मुख्य कारण था यदि हम वास्तव में महिलाओं की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार लाना चाहते है तो उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं सफल बनाने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए थे किंतु हमने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। भारतीय संविधान मे महिलाओ को समान स्तर प्रदान करने की बात तो की गई किन्तु इसके लिए कोई ठोस प्रयास नही किए गए ।

महिलाओं के लिए इस संबंध में पर्याप्त एवं महत्वपूर्ण प्रयास 73 व 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्हें स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान कर किया गया जिसे बाद में 50% तक बढ़ाया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए यही प्रयास सर्व प्रमुख था।

यदि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था को संविधान लागू होते ही लागू कर दिया होता तो महिलाओं की स्थिति में पूर्व सुधार आ चुका होता और महिलाओं से संबंधित अनेक सारी बुराइयों से उन्हें निजात मिल चुका होता है जैसे बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा , आर्थिक परनिर्भरता , विधवाओं की दुर्दशा , पर्दा प्रथा , दहेज प्रथा , महिला भ्रुण हत्या , उनका कार्य के चार दिवारी इत्यादि समस्याएं उनको आरक्षण मिलने से और उनके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से समाप्त हो गई होती। किंतु इस कार्य में सबसे बड़ा रोड़ा या बाधा पुरुषों की उनके प्रति मानसिकता रही है जो कि आज भी परिवर्तित नहीं हो रही है और वह महिलाओं को आगे बढ़ने या समाज स्तर पर लाने के लिए भी स्वीकार नहीं करती।

इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है एक तरफ तो हम जनगणना के समय स्त्री- पुरुष अनुपात को असंतुलित होने का गम बताते हैं किंतु साथ ही महिला आरक्षण प्रारंभ होने के बाद उन्हें 33 या 35% तक सीमित रखने का काम करते हैं क्योंकि स्त्री - पुरुष अनुपात बराबर होना चाहिए किंतु किसी भी क्षेत्र में उन्हें बराबरी का मौका देने के लिए तैयार नहीं है । न केवल 50 सदस्य बल्कि केवल 33 या 3% आरक्षण वह भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण अर्थात महिलाओं को 35 या 35% से ज्यादा एक भी सीट ना मिले यही पुरुषों की दोगली मानसिकता को प्रदर्शित करता है।

ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत यह व्यवस्था की गई है की निर्धारित आरक्षण के अतिरिक्त एक भी स्थान अतिरिक्त चाहे मेरिट में सर्वोच्च स्थान पर हो किंतु अतिरिक्त स्थान प्रदान नहीं किया जाएगा महिलाएं यदि आरक्षण प्राप्त करके भी आर्थिक रूप से सक्षम हुई तो उनकी अधिकांश समस्याओं के समाधान हो जाएगा- कन्या भ्रुण हत्या और और बाल विवाह बंद हो जाएंगे। महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापित होगी तथा समाज को सशक्त आधार प्राप्त होगा।

आरक्षण का नकारात्मक पक्ष – डॉक्टर अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान मे आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करते समय इस व्यवस्था को प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए स्थापित करने के लिए कहा गया था। किंतु यह व्यवस्था

बार-बार 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ती गई और आज भी यह व्यवस्था लागू है भारत के बुद्धिजीवियों के द्वारा यह विचार प्रकट किया गया था कि कि सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रारंभिक 10 वर्ष पिछड़े वर्गों को समर्थन और सहायता देने के लिए पर्याप्त है ताकि वे अपने खुद के दम पर खड़े हो सके उनके अनुसार अधिक समय तक सहायता प्रदान करना उन्हें अक्षम बना सकता है और उन्हें आवश्यकता से अधिक सहायता पंगु बना सकती है जिसे भी सामाजिक व्यवस्था में सशक्त आधार के रूप में खड़े होने के बजाय कमजोर और दूसरों पर आधारित एवं सदैव बैसाखी की सहायता से अपने विकास के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि यदि हम आरक्षण के नकारात्मक पक्षों से भली-भांति अवगत हैं तो हम महिला आरक्षण के पक्ष में कैसे बात कर सकते हैं इसके प्रत्युत्तर में यह बताया जा सकता है कि जैसे एक सामाजिक ताने-बाने में 1 वर्ग या वर्ण की स्थिति दयनीय रही है। ठीक उसी तरह महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग या वर्ण में अर्थात चारों वर्णों में दयनीय रही है ऐसी स्थिति में सर्व प्रथम प्रयास महिलाओं की स्थिति में सुधार का ही होना चाहिए था जबकि इस संबंध में विचार नहीं किया गया।

महिला आरक्षण का एक विशिष्ट पहलू यह भी है की अधिकांश महिलाएं स्वयं समाज में अपनी स्थिति से असंतुष्ट नहीं थी भारतीय महिलाओं में महत्वाकांक्षा की अत्यधिक कमी रही है और इसी कारण वे अपनी स्थिति में अत्यधिक सुधार के लिए यह परिवर्तन लाने के लिए स्वयं ही पक्षधर नहीं रही है। किंतु आज स्थित समाज और अर्थव्यवस्था पर आधारित व्यवस्था में यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि महिलाए आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भर रहे। जिससे वे भारतीय समाज भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्र के आधार स्तंभ के रूप में स्थापित हो और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने मैं अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष- अंतत: यह सशक्त रूप से कहा जा सकता है कि यदि महिलाओं को कन्या भ्रुण हत्या जैसी समस्या से मुक्ति प्राप्त हो एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले तो निश्चित रूप से महिलाओं को अपनी योग्यता को सिद्ध करने में किसी भी प्रकार के आरक्षण की सहायता की आवश्यकता नहीं है और महिलाएं अपनी योग्यता के दम पर पुरुषों की मानसिकता और अपने प्रति उनके दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में भी सक्षम होंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 Bakshi P.M. , " The Constitution of India , with selective comments."Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd. ,New Delhi 2001.
2 Basu Durga Das, " Introduction to the Constitution of India.",16th edition Prentice Hall Of India Pvt. Ltd., New Delhi 1994
3 फढ़िया बीएल, फढ़िया कुलदीप ,'राजनीति विज्ञान', कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल
4 Kashyap Subhash C., "Our Constitution : An Introduction to India's Constitution and Constitutional law." National Book Trust India New Delhi 2000
5 लक्ष्मीकांत एम. , 'भारत की राजव्यवस्था' पंचम संस्करण , McGraw Hill's Education (India) Pvt. Ltd. Chennai , 2017
6 Raja Ram Kalpana,"Indian Polity" edited 8th revised and enlarged edition, Spectrum Books Private Limited New Delhi 2001
7 श्याम सुंदर, जे .एवं शर्मा स्थिति सी पी 'यूनिफाइड राजनीति विज्ञान' ,बीए. प्रथम वर्ष, राम प्रसाद एंड संस भोपाल 2017

****